मूल हिन्दी

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4707

31 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत आवास

4707. श्री विनायक भाऊराव राऊत:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत देश में, विशेषकर महाराष्ट्र के रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग में, राज्य-वार कितने आवासों के निर्माण का शिलान्यास किया गया है;

(ख) क्या इनका निर्माण कार्य पूरा हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत आवासों के निर्माण हेतु रखी गई आधारशिलाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त आवासों का निर्माण कार्य शुरू या पूरा नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) वर्ष 2015 से अब तक पूर्ण किए गए आवासों के लिए निर्धारित न्यूनतम क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) विगत पांच वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा आवासों के आकार में किये गए हर प्रकार के परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) से (ग) भूमि और कॉलोनीकरण राज्य के विषय हैं। इसलिए, आवास संबंधी योजनाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। तथापि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय "सभी के लिए आवास" के विज़न के तहत, सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों के लिए आवासों के निर्माण के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद कर रहा है। पात्र लाभार्थी चार घटकों अर्थात, लाभार्थी आधारित निर्माण या वृद्धि (बीएलसी); साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी); स्व-स्थाने 'स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण आधारित सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से पीएमएवाई-यू का लाभ उठा सकते हैं।

पीएमएवाई-यू के तहत, पिछले तीन और मौजूदा वर्ष (2018-2022) के दौरान स्वीकृत आवासों सहित निर्माणाधीन और पूर्ण आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग में, अब तक 4,955 आवासों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 3,209 आवासों का निर्माण कार्य चल रहा है और 2,950 आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

(घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत अपने संसाधनों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से आवासों की अपनी आकलित मांग के अनुसार परियोजना प्रस्ताव तैयार करते हैं और फिर उन्हें राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित करवाया जाता है। संबंधित एसएलएसएमसी से अनुमोदन के बाद, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मंत्रालय में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति द्वारा केंद्रीय सहायता के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। योजना के विभिन्न घटकों के तहत परियोजनाओं को पूरा करने में आमतौर पर 12-36 महीने लगते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना को पूरा करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में उल्लिखित समय-सीमा का पालन करना आवश्यक है। तदनुसार, योजना की प्रगति अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है। 'सभी के लिए आवास' के विजन को प्राप्त करने के उद्देश्य से, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत आवासों के निर्माण में तेजी लाने की सलाह दी गई है, ताकि सभी आवासों को निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया जा सके।

(ड.) और (च) योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, मिशन के तहत प्रत्येक घटक में निर्मित आवासों का न्यूनतम आकार राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (एनबीसी) में प्रदान किए गए मानकों के अनुरूप होना चाहिए। तथापि, यदि भूमि का उपलब्ध क्षेत्र एनबीसी के अनुसार ऐसे न्यूनतम आकार के आवासों के निर्माण की अनुमति नहीं देता है और, यदि आवास के कम आकार के लिए लाभार्थी की सहमति उपलब्ध है, तो राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) के अनुमोदन से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उस क्षेत्र के संबंध में एक उपयुक्त निर्णय लिया जा सकता है। मिशन आधारभूत नागरिक बुनियादी ढांचे सहित 30 वर्ग मीटर कॉरपेट क्षेत्र तक के आवासों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मंत्रालय के परामर्श से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर आवास के आकार और अन्य सुविधाओं के निर्धारण के मामले में लचीलापन रखते हैं। ऋण आधारित सब्सिडी योजना के तहत, अनुमेय कॉरपेट क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

विवरण	**आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस)**	**निम्न आय वर्ग (एलआईजी)**	**मध्यम आय वर्ग (एमआईजी-I)**	**मध्यम आय वर्ग समूह (एमआईजी-II)**
योजना अवधि	**17.06.2015 to 31.03.2022**		**01.01.2017 to 31.03.2021**	
कॉरपेट क्षेत्र	**30 वर्ग मी. तक**	**60 वर्ग मी. तक**	**160 वर्ग मी. तक**	**200 वर्ग मी. तक**

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षित है कि वे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में यथा प्रस्तावित आवास क्षेत्रों का पालन करें।

दिनांक 31-03-2022 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 4707 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू के तहत निर्माणाधीन और पूर्ण आवासों सहित पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष (2018-2022) के दौरान महाराष्ट्र राज्य सहित स्वीकृत आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवास (संख्या)		
		स्वीकृत	निर्माणाधीन	पूर्ण
1	अंडमान और निकोबार द्वीप (यूटी)	578	578	23
2	आंध्र प्रदेश	16,61,980	13,25,466	1,56,280
3	अरुणाचल प्रदेश	3,665	1,197	390
4	असम	1,12,049	66,907	13,347
5	बिहार	2,34,416	1,38,597	28,092
6	चंडीगढ़ (यूटी)	1,012	1,012	1,012
7	छत्तीसगढ़	2,20,475	1,40,535	81,015
8	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र	5,499	5,425	4,907
9	दिल्ली (एनसीआर)	23,715	23,715	23,715
10	गोवा	2,600	2,600	2,600
11	गुजरात	6,71,390	6,16,779	4,98,464
12	हरियाणा	1,00,574	42,378	36,925
13	हिमाचल प्रदेश	7,212	6,519	2,914
14	जम्मू और कश्मीर (यूटी)	39,325	30,286	7,187
15	झारखंड	1,01,158	90,408	32,695
16	कर्नाटक	3,48,455	2,84,298	1,27,729
17	केरल	76,591	59,568	43,946
18	लद्दाख (यूटी)	382	382	108
19	लक्षद्वीप (यूटी)	-	-	-
20	मध्य प्रदेश	4,84,946	4,23,791	2,16,918
21	महाराष्ट्र	12,47,828	6,76,852	5,12,249
22	मणिपुर	32,027	15,610	376
23	मेघालय	3,966	2,509	329
24	मिजोरम	11,150	5,737	1,292
25	नागालैंड	21,567	19,490	2,366
26	ओडिशा	1,50,141	86,444	60,051
27	पुदुचेरी (यूटी)	10,075	9,023	2,841
28	पंजाब	70,038	62,614	37,083
29	राजस्थान	1,42,613	1,07,697	1,02,030
30	सिक्किम	134	134	134
31	तमिलनाडु	4,24,139	3,47,690	2,21,490
32	तेलंगाना	96,127	93,765	83,639
33	त्रिपुरा	29,605	17,928	7,183
34	उत्तर प्रदेश	14,73,437	12,00,310	7,85,962
35	उत्तराखंड	47,774	19,552	15,258
36	पश्चिम बंगाल	3,80,811	2,55,614	1,07,958
कुल		**82,37,454**	**61,81,410**	**32,18,508**

*****